62

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 90 / 2018

दायर दिनांक–30–08–2018

1 विनोद कुमार पुत्र फताराम उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासीगण कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

2 मुन्नी देवी पुत्री फताराम पत्नी धर्मवरी उम्र 37 वर्ष जाति जाट निवासीगण कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान हाल आबाद नाटास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनूं राजस्थान

– आवेदकगण

बनाम

1 फताराम पुत्र तेजाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासीगण कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

2 सुरेश कुमार पुत्र फूलचन्द उम्र 34 वर्ष जाति जाट निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

3 उप–पंजीयक, उप–पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रति॰ नं॰ :– श्री सुरेश कुमार सीगड़

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 29.03.2022

प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– आवेदकगण ने एक प्रार्थना पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में नई खाता संख्या 187 की भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1004 रकबा 4.41 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 447, 592 थे जो आवेदकगण के दादा तेजा पिता गोपाल की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी अर्थात उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि का आवेदकगण का दादा तेजा पुत्र गोपाल खातेदार काश्तकार था। आवेदकगण भूमि खसरा नम्बर 1003 कोमा 1004 के संबंध में उक्त वाद बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रहे हैं जो आवेदकगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगा 17 की पैतृक संपत्ति है जिसे आगे वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया जा रहा है आवेदकगण प्रतिवादी नंबर 1 लगाए 17 की वंशावली निम्न प्रकार है

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा अनावेदन नम्बर 1 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 2 लगा 9 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 10 व 11 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 12 लगा 17 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है विवादित भूमि आवेदकगण व प्रतिवादी नंबर 1 लगाए 17 की पैतृक भूमि है आवेदकगण, अनावेदक नंबर 1 के जयन्दा संतान है त… …वार के सददायिक सदस्य हैं जिनका वादग्रस्त संपत्ति में जन्म से ही हक व हिस्सा है आवेदक नंबर 1 एक … जिमेदार व्यक्ति है शराबी है तथा प्रतिवादी नंबर 10 व 11 के बहकावे में है अनावेदक नंबर 1 … प्रतिवादी नंबर 10 व 11 … परिवार की आवश्यकताओं की उसे कहते हैं अनावेदक 1 परिवार की जिम्मेदारी को भी वहन नहीं करता है … परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अनावेदक नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 10 के भड़काने पर आवेदक … व उनकी माता को गाली देता … तथा विवादित जमीन से निकालने की धमकी देता है आवेदकगण को पैतृक संपत्ति से वंचित करने के लिए अपने नाम से खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को विक्रय करने पर आमादा रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:59 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)

जिसका अनावेदक नंबर 1 को कानूनन हक अधिकार नहीं है। आवेदकगण अपने पिता अनावेदक नंबर 1 साथ सहखातेदार, काश्त करते है, काबिज है तथा लगान अदा करते आ रहे है। आवेदकगण का अपने दादा की इस जमीन में जन्म लेते ही कानूनन हक अधिकार पैदा हो गया। इस प्रकाश आवेदनकगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है, परन्तु अनावेदक नम्बर 1 विवादित सम्पति में

आवेदकगण को मिलने वाले हक से वंचित करना चाहता है इसलिए आवेदकगण विवादित संपत्ति को लेकर विवाद है हिंदू परिवार में जब पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होता है तो नोशनल शेयर की घोषणा की जाती है आवेदकगण व अनावेदक नंबर 1 का अनावेदक नंबर 1 के नाम दर्ज भूमि हिस्सा 1/4 में प्रत्येक का 1/3, 1/3 अर्थात कुल भूमि में 1/12 1/12 प्रत्येक का है, इसी अनुसार हक अधिकार में कब्जा काश्त है। इसलिए विवादित भूमि में आवेदक नंबर 1 को 1/12 हिस्से का, आवेदिका नंबर 2 का 1/12 हिस्से का, अनावेदक नंबर 1 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी नंबर 2 लगा 9 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी नंबर 10 व 11 को 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नंबर 12 लगाए 17 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ल 17 के मध्य विवादित भूमि का सही नाप जोख करके विधिवत विभाजन किया जावे जिसके लिए वाद बाबत घोषणार्थ व विभाजन का पेश करना आवश्यक हुआ

विवादित भूमि आवेदकगण व प्रतिवादी नंबर 1 लगा 17 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पैतृक संपत्ति है जो आवेदकगण व अनावेदक नंबर 1 के पूर्वज अनावेदक नंबर 1 के पूर्वज तेजा पुत्र गोपाल के फौत होने पर उसकी फौतगी पर उसके उत्तराधिकारीयो प्रतिवादी नंबर 1 लगा 17 के नाम से दर्ज हुई है अनावेदक नंबर एक आवेदकगण का पिता है आनावेदक नंबर 1 के नाम दर्ज भूमि में आवेदकगण का जन्मजात हक अधिकार है परंतु अनावेदक नंबर 1 अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर आवेदकगण को उनके हिस्से से वंचित करना चाहता है इसी उद्देश्य की पूर्ति में अनावेदक नंबर 1 ने अनावेदक नंबर 2 को एक स्ट्रेंजर है, के पक्ष में विवादित भूमि खसरा नंबर 1003 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नंबर 1004 रकबा 4.41 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा 4.44 हैक्टर में हिस्सा 1/4 में से रकबा मेसे रकबा 0.5550 हैक्टर भूमि का एक विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2018 को बाला बाला ही विधि विरुद्ध कार्यवाही करके तस्दीक व तकमिल करवा दिया जो आवेदकगण के हक अधिकारों के विरुद्ध एबीनिसियो वोइड है, अवैध है, शून्य दस्तावेज है, बेअसर है। अनावेदक नंबर 1 को इस तरह से विवादित भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का हक अधिकार नहीं था विवादित भूमि में वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/4 दर्ज है आवेदकगण का विवादित भूमि में जन्मजात 1/6 (1/12, 1/12 प्रत्येक का) हिस्सा है आवेदकगण नंबर एक का भी हिस्सा 1/12 हिस्सा है यानी विवादित भूमि में आनावेदक नंबर 1 का ज्यादा से ज्यादा रकबा 0.37 हैक्टर हिस्सा ही था परंतु प्रतिवादी नंबर 1 ने अनावेदक नंबर 2 के पक्ष में अपने हिस्से से ज्यादा रकबा 0.5550 हेक्टर भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, जो विधि विरुद्ध है अनावेदक नंबर 1 ने विक्रय पत्र में निजी जायज पारिवारिक आवश्यकतावश धनराशि की आवश्यकता होने के आधार पर विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जबकि अनावेदक नंबर 1 को किसी प्रकार की निजी जायज पारिवारिक आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अनावेदक नंबर 1 आदतन शराबी आदमी है जो गैर जिम्मेदार आदमी है,

प्रतिवादी नम्बर 10 व 11 के बहकावे में तथा प्रतिवादी नंबर 10 व 11 के पास ही प्रतिवादी नंबर 10 व 11 के पिता व पति की मृत्यु उपरांत रहता आया है वादी[illegible] है ना ही शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था की है तथा ना ही आवेदकगण की माता के प्रति [illegible]लन किया है हमेशा ही जारता का जीवन व्यतीत किया है ना ही परिवार की [illegible] ही विवादित भूमि में काश्त करके आवेदकगण का पेट पाल[illegible] है। अनावेदक नंबर 1 को [illegible] भी तरह की पारिवारिक आवश्यकता नहीं रही है तथा परिवार के हकों के विपरीत जाकर अनावेदक नंबर 1 ने हिस्से से अधिक भूमि का आवेदकगण व अपनी पत्नी को जानबूझकर नुकसान करने हेतु तथाकथित विक्रय [illegible] अनावेदक नंबर 2 के पक्ष में तस्दीक करवाया है जिसमें कब्जे का भी परिदान नहीं हुआ है विक्रय पत्र हर दृष्टि से गलत और गैर कानूनी है जिसकी कानून की नजर में कोई औचित्यता नहीं है इसलिए अनावेदक नंबर 1 ने अनावेदक नंबर 2 के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:59 IST
Reason: SelfAttested

(3)

दिनांक 27.07.2018 को जो विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है उसे आवेदकगण के हक अधिकारों पर बेअसर घोषित किया जाकर नल एंड वोइड करार दिया जावे, जिसके लिये वाद श्रीमान की सेवामें पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि आवेदकगण प्रतिवादी नंबर 1 लगा 17 की पैतृक संपत्ति है। आवेदकगण अनावेदक नम्बर 1 की जयन्दा संतान है तथा हिंदू परिवार की सहदायिक सदस्य है, जिनका हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति में जन्म लेते ही हक हिसा उत्पन्न हो जाता है अनावेदक नंबर 1 के पास दर्ज भूमि में अनावेदक नंबर 1 का 1/12 हिस्सा है तथा आवेदकगण का भी 1/12, 1/12 प्रत्येक का हिस्सा है विवादित भूमि पैतृक होने से आवेदकगण के दादा के फौत होने, खातेदारी अनावेदक नंबर 1 के नाम से दर्ज है अनावेदक नंबर 1 आवेदकगण से ईर्ष्या रखता है तथा प्रतिवादी नंबर 10 व 11 के बहकावे में है। इसलिए आवेदकगण को विवादित पैतृक भूमि में मिलने वाले हक हिस्से व अधिकार से वंचित करना चाहता है, इसी उद्देश्य की पूर्ति में अनावेदक नंबर 1 ने अनावेदक नंबर 2 जो स्ट्रेंजर है के पक्ष में दिनांक 27.7.2018 को गुपचुप तरीके से व विधि विरुद्ध रूप से विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, जिसकी आवेदकगण को कोई जानकारी नहीं थी परंतु दिनांक 25.08.2018 को अनावेदक नंबर 2, अनावेदक नंबर 1 को विवादित भूमि पर लेकर आया तथा आवेदकगण को खुलेआम धमकी दी कि हमने विवादित भूमि में से भूमि क्रय कर ली है इसलिए तुम भूमि को खाली कर दो अन्यथा में ताकत व लठ के बल पर विवादित भूमि पर कब्जा करूगां। आवेदकगण ने अनावेदक नंबर 1 को उलाहना दिया तो अनावेदक नंबर 1 ने भी धमकी दी कि राजस्व रिकॉर्ड मेरे नाम से है से दर्ज है जिसे मेरी मर्जी होगी उसे विक्रय कर लूंगा तथा बची हुई शेष भूमि को भी विक्रय करूंगा अनावेदकगण कि उक्त हरकत से आवेदनगण को सख्त हकतलफी हुई है, आवेदकगण तुरंत तहसील नवलगढ़ आये तथा विक्रय पत्र व राजस्व रिकॉर्ड की नकले ली तो वस्तु स्थिति की जानकारी हुई। अनावेदक नंबर 1 व 2 मिलकर गलत कार्यवाही की ओर अग्रसर है तथा गलत वह विधि विरुद्ध रूप से तकमिल विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही करना चाहता है आवेदकगण को ताकत व लठ के बल पर (बाई फौरस) बेदखल करना चाहता है तथा अनावेदक नंबर 1 शेष बची भूमि को भी विक्रय करने हेतु अग्रसर है, इसलिए अनावेदक नंबर 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अनावेदक नंबर 1 व 2 विधि विरुद्ध विक्रय पत्र की आड़ में आवेदक गणों को ताकत व लठ के बल पर विवादित भूमि से बेदखल नहीं करें, आवेदकगण को उनके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवे, उपयोग उपभोग करने देवे। अनावेदक नंबर 2 विधि विरुद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही नहीं करें भूमि को आगे से आगे विक्रय वह हस्तांतरित नहीं करें, विवादित भूमि में शेष बची भूमि को विक्रय व हस्तांतरित नहीं करें रहन व गिरवी नहीं रखें, अनावेदक नंबर 3 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अनावेदक नंबर 1 व 2 विवादित भूमि के संबंध में कोई हस्तांतरण विलेख उसके कार्यालय में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करें तो उसे पंजीबद्ध नहीं करें जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत और अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ

विवादित भूमि आवेदकगण की पैतृक भूमि है संपत्ति है जिसमें आवेदकगण का जन्मजात हक अधिकार है, काबिज काश्तकार है, विवादित भूमि में मकानत बनाकर आबाद है, कृषि कार्य करके फसल लाटते हैं, सैटल पजेशन है, इसलिए आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है परंतु अनावेदक नंबर 1 व 2 अपनी गलत वह विधि विरुद्ध कार्यवाही को [illegible] हुए हैं आवेदकगण को उनके हिस्से से महरूम करना चाहते हैं तथा ता[illegible] के ब[illegible] बे[illegible] करने पर आमादा है अगर अनावेदकगण अपनी गलती गलत योजना की क्रिया[illegible] अपार क्षति होगी, जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से भुगतना असंभव होगी। आवे[illegible] बाजी में फसना होगा, जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी साथ ही मानसिक पीड़ा अलग से भुगतनी हो[illegible]सी सूरत में अनावेदक नम्बर 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना निहायत जरूरी व न्यायोचित है।

प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा आवेदकगा को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1003, 1004 के सम्बन्ध में अनावेदक नम्बर 1 व 2 विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:59 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

विरूद्ध विक्रय–पत्र की आड में आवेदकगण को ताकत व लठ के बल पर विवादित भूमि से बेदखल नही करें, आवेदकगा को उनके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवे, उपयोग उपभोग करने देवे। अनावेदक नम्बर 2 विधि विरूद्ध विक्रय–पत्र के आधा पर नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं करे, भूमि को आगे से आगे विक्रय व हस्तान्तरित नहीं करे, विवादित भूमि में शेष बची भूमि को विक्रय व हस्तान्तरित नहीं करे, रहन व गिरवी नहीं रख, अनावेदक नम्बर 3 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अनावेदक नम्बर 1 व 2 विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई हस्तान्तकरण विलेख उसके कार्यालय में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करे तो उसे पंजीबद्ध नहीं करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील अनावेदकगण ने जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र की धारा 1 में दावा पेश करना स्वीकार है, बाकी तथ्य जिस तरह से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदनगण का मामला कमजोर आधारों पर आधारित होने से खारीख होने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की धारा 2 जिस तरह से दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है। जमीन खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1004 रकबा 4.41 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.44 हैक्टर ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित होना स्वीकार है। आवेदकगण को इस तरह का वाद न्यायालय में पेश करने का कानूनन व तथ्यात्मक रूप से काई अधिकार नही है। आवेदकगण अनर्गल व आधारहीन वाद व प्रार्थना–पत्र जबाबदेहन्दागण को हैरान व परेशान करने के लिये किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। आवेदनगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में कोई जमीन नहीं है, न ही आवेदकगण का वादग्रसत जमीन पर किसी तरह से कब्ज है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण को विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का कानूनन कोई अधिकारी प्राप्त नहीं हैं। आवेदकगण को घोषणा का दावा करने को भी कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है, आवेदिका नम्बर 2 मुन्नी देवी का वादग्रसत जमीन से कोई लेना–देना मौजूदा स्थिति में नही है, आवेदिका मुन्नी देवी की उन्हीं के कथनानुसार उम्र 38 वर्ष हो चुकी है, इस तरह उक्त आवेदिका मुन्नीदेवी का अनावेदक नम्बर 1 फताराम की जमीन में कोई हक कानूनन नहीं बनता है, कानूनन आवेदिका मुन्नी देवी का अपने पिता फताराम के जीवनकाल में कोई हक वादग्रस्त जमीन में नहीं बनता है, कानूनन फताराम के साथ उसके पुत्र का हक है, अन्य किसी का कोई हक नही बनता है। इसलिये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना–पत्र आधारहीन व मनगढन्त, गैर कानूनी रूप से किया गया है, जो खारीज होने योग्य है। आवेदिका मुन्नी देवी की शादी अनावेदक नम्बर 1 फताराम (पिता) ने करीब 20 वर्ष पूर्व कर दी थी, जिसमें जबाबदेहन्दा पिता फताराम ने ऋण लेकर शादी में अच्छा खर्चा लगाया था। जबाबदेहन्दा फताराम का पुत्र विनोद कुमार काम धन्धा करके अपने पिता जबाबदेहन्दा फताराम को कभी भी कमाकर नही दिया, जबाबदेहन्दा फताराम वृद्ध व्यक्ति है, अक्सर बीमार रहता है, घर मे रोजाना खर्चा लगता है, आय का कोई स्त्रोत नहीं है, पुत्री की शादी के बाद जबाबदेहन्दा फताराम (पिता) ने अपने पुत्र वादी विनोद कुमार की भी शादी की, जिसमे भी काफी खर्चा लगा। उस उक्त भी जबाबदेहन्दा फताराम ने अपने रिश्तेदार, मित्रा और गांव के पड़ौसिसों आदि से ऋण लिया था। ऋण अपने पुत्र व पुत्री की शादी के लिये तथा मकान बनाने के लिये लिया, जिसका चुकारा जबाबदेहन्दा फताराम नहीं कर सका तथा ब्याज की राशि दिनो दिन बढती चली गई, इस पारिवारिक जिम्मेदारी एवं ऋण चुकारा एवं निजी घरेजू आवश्यकताओ जबाबदेहन्दा फताराम ने कानूनन अपने हक हक में आ रही जमीन को अनावेदक नम्बर 2 सुरेश कुमार को बेचकर प्रतिफल की राशि प्राप्त करके अपने द्वारा लिये गये ऋण व ब्याज का चुकारा किया गया है तथा मौके पर विक्रीत [illegible] करके खरीददार अनावेदक नम्बर 2 सुरेश कुमार को कबजा दे दिया गया है। इस तरह [illegible] बदेहन्[illegible] फताराम ने अपनी घरेलू जायज आवश्यकताओं हेतु जमीन को बेची है, जो आव[illegible] व प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है। जबाबदेहन्दा फताराम ने अपने हक [illegible] बेची है, विधि अनुसार ही विक्रय–पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध करवाके कब्जा मौके पर भौतिक रूप से संभल[illegible]या गया है। आवेदकगण ने वंशावली गलत पेश की है, जबाबदेहन्दा फताराम (पिता) के जीवनकाल में उसकी पुत्री आवेदिका मुन्नी देवी का कानूनन कोई हक नहीं बनता है, मुन्नी देवी का जन्म 40 वर्ष पूर्व हुआ था, उस उक्त किसी तरह का कानून लागू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:59 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.)
नयरानगर

नही था। मुन्नी देवी का हक अनावेदक नम्बर 1 फताराम की मृत्यु के बाद पैदा होता है, पहले नही होता है, कानून जो पुत्री के हक के बाबत बना है, वह सितम्बर 2005 में बना है, जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू है, इसलिये आवेदकगण का वाद व प्रार्थना–पत्र कानूनन चलने योग्य नही होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की धारा 3 जिस तरह से दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि में अनावेदक नम्बर 1 फताराम जबाबदेहन्दा का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार है। आवेदन नम्बर 1 ने जबाबदेहन्दा पिता अनावेदक नम्बर 1 फताराम को कभी भी कमाकर नही दिया है, न ही पिता फताराम की कभी इज्जत की है, आवेदन विनोद कुमार वृद्ध पिता फतमाराम के साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट भी कर लेता है, जबाबदेहन्दा फताराम की पत्नि को भी मारपीट करके दबाकर अपने पक्ष में कर रखी है। इस तरह जबाबदेहान्दा फताराम को उसका पुत्र विनोद कुमार न तो खर्चा देता है तथा दुर्व्यवहार करता है। पुत्री आवेदिका मुन्नी शादीशुदा है, अपने ससुराल में रहती है, उसके बाल बच्चे भी है, जो आवेदन विनोद कुमार के बहकावे में आकर झूंठा मुकदता किया है, ऐसी स्थिति जब वृद्ध पिता अनावेदक नम्बर 1 फताराम के साथ गुजर रही है तो जबाबदेहन्दा फताराम के पास अपने ऋण का चुकारा करने के लिये जमीन को बेचने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नही रहा तो मजबूर होकर अनावेदक नम्बर 1 जबाबदेहन्दा फताराम ने कानूनन जमीन को विक्रय की, ऋण का चुकारा किया, जो आवश्यक था। इस तरह आवेदकगण का वाद व प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है। आवेदकगण हिन्दू परिवा के सहदायिक सदस्य नहीं, हिन्दू के लिये अपने ऋण का चुकारा किया जाना हिन्दू विधि में लाजमी माना गया है। उस स्थिति में जब जबाबदेहन्दा फताराम को अपने पुत्र विनोद कुमार से अपनी मृत्यु के बाद ऋण का चुकारा करने की कोई उम्मीद नही होने के कारण जमीन बेचकर हिन्दू धर्म की पालना की गई है। आवेदकगण का जन्म से वादग्रस्त जमीन में कोई हक तथ्यात्मक रूप से नहीं बनता है। आवेदन विनोद कुमार जब अपने पिता की देनदारियों के लिये जिम्मेदारी नही निभा रहा है तो उस स्थिति में पिता की जमीन मे जन्म से ही हक नहीं बनता है, पुत्री मुन्नी देवी का वादग्रस्त सम्पति में जन्म से हक कानूनन नही बनता। जबाबदेहन्दा पिता फताराम की मृत्यु के बाद पुत्री मुन्नी देवी का हक कानूनन बनता है, इस तरह आवेदकगण द्वारा जन्म से वादग्रस्त सम्पति में हक की बात बेमानी है, गैर कानूनी है तथा तथ्यहीन है, जबाबदेहन्दा अनावेदक नम्बर 1 ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियो को पूरा निभाया है, आवेदकगण को जन्म दिया है उनका पालन–पोषण किया है, पढाई करवाई है, शादी विवाह, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार काफी खर्चा लगाकर किया है, दोनो पुत्र पुत्रियो की शादी में सोने–चांदी के गहने डाले है, अब भी पुत्री मुन्नी देवी को साल में 3–4 दफा बुलाकर कपड़े आदि एवं खर्चा जबाबदेहन्दा फताराम दे रहा है, पुत्र विनोद की संतान की पढाई लिखाई की भी कोशिश करता है तथा अपनी पत्नि के साथ रहकर सामंजस्य बैठाने की चेष्ठा करता है, परन्तु आवेदकगण ऐसा नहीं होने देने की चेष्ठा मे है। इस तरह आवेदकगण का वाद कानूनन वह तथ्यात्मक रूप से खारिज होने योग्य है जवाबदेहन्दा फताराम सामाजिक रूप से मोस्ट रेस्पोंसिबल व्यक्ति है शराब का कभी सेवन नहीं करता है प्रतिवादी नंबर 10 व 11 कुटुंब के व्यक्ति हैं इसलिए उनसे भी जवाबदेहन्दा फताराम सामंजस्य रखने की चेष्टा रखता है पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है जवाबदेहन्दा फताराम वृद्ध व अक्सर बीमार रहने वाला व्यक्ति है जिसके आय का कोई स्रोत नहीं होने के बावजूद भी अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चेष्टा रखता है आवेदकगण ने इस धारा में एवं समस्त दावे में संपूर्ण बातें व्यर्थ की लिखी हैं जिनका कानूनन वह तथ्यात्मक रूप से कोई औचित्य नहीं है आवेदकगण का अनावेदक नंबर 1 के साथ सह खातेदार होना वह काश्त करने का सवाल ही पैदा नहीं [illegible] आवेदकगण का न तो कब्जा है न ही लगान दे रहे हैं आवेदकगण का कोई अधिकार पैदा नहीं हुआ [illegible] में जवाबदेहन्दा फताराम अनावेदक नंबर 1 फताराम की आधे हिस्से की भूमि का खातेदार जवाबदेहन्दा [illegible] तथा आधे का हिस्सेदार जवाबदेहन्दा फताराम स्वयं है वादग्रस्त संपत्ति का कोई विवाद नहीं है आवेदिका मुन्नी देवी नोशनल शेयर का अधिकार कानूनन नहीं रखती है मुन्नी देवी के खातेदार होने की घो[illegible] करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है आवेदकगण का कानूनन कोई हिस्सा नहीं बनता है आवेदकगण का जब हिस्सा ही नहीं है तो कुल भूमि में 1/12, 1/12 हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, किसी भी तरह की घोषणा करने की कानूनन वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:59 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (प्रा.दे.)
नवलगढ़

(२५)

...त्मक रूप से घोषणा करने का कानूनन कोई औचित्य नहीं है मौके पर वादग्रस्त जमीन का विभाजन बकायदा ...ती करके किया हुआ है जो मौके से साफ जाहिर हो रहा है अनावेदक नंबर 2 सुरेश कुमार वादग्रस्त जमीन के ...5 हेक्टर पर का खातेदार जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो चुका है इसलिए उसके बाबत घोषणा विधिवत ...ाजन प्राथमिक डिक्री से तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिये प्रतिवादा प्रतिवादी नम्बर 18 की तरफ से पेश किया जा ...ा है।

प्रार्थना पत्र की धारा 4 जिस तरह से दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है जवाबदेहन्दा अनावेदक नम्बर 1 ...ताराम की जमीन में आवेदकगण का कोई हक नहीं है आवेदकगण को उनके हक से वंचित करने का प्रश्न ही ...दा नहीं होता है। आवेदक नंबर 1 विनोद कुमार परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है परिवार को ...लाने की जिम्मेदारी अनावेदक नंबर 1 फाताराम पर ही चली आ रही है जिसके पास इस उम्र में आय का कोई ...ाधन नहीं होने से जीवन यापन करने तथा ऋण का चुकारा करने व हिंदू धर्म में आस्था रखने व उसकी पालना ...तु जमीन विक्रय करना निहायत आवश्यक होने से ही जमीन विक्रय की गई है जवाबदेहन्दा अनावेदक नम्बर 2 ...्ट्रेंजर नहीं है बल्कि फताराम अनावेदक नंबर 1 से नपति करवा कर अलग से तारबंदी करके काबिज है वह ...काश्त कर रहा है। विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2018 विधि अनुसार एवं मौके के अनुसार तथा राजस्व रिकॉर्ड से सही बनाया गया है तथा कीमत के लिए बोली लगाकर गांव में 15–20 आदमियों के सामने सही सही विक्रय पत्र करवाया है बाला बाला करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जवाबदेहन्दा फताराम ने कानूनन व तथ्यात्मक रूप से विक्रय पत्र सही करवाया है अपने अधिकारों के तहत करवाया है इसलिए अब–इनिसियो वोइड होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अवैध, शून्य व बेअसर होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है आवेदकगण ने एक ही तथ्य की पुनरावृति की है जिसका जवाब विस्तार से आ चुका है जवाबदेहन्दा का वादग्रस्त भूमि में 1.11 हैक्टर हिस्सा है, जिसमें से 0.5550 हैक्टर जमीन अनावेदक नंबर 2 ने बेची है जो विधि अनुसार सही बेची गई है विधि विरूद्ध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जवाबदेहन्दा फताराम ने निजी जायज पारिवारिक आवश्यकता व धनराशि की आवश्यकता होने की बात सही लिखी है जवाबदेहन्दा फताराम को पारिवारिक आवश्यकता इसलिए थी कि उसके एक पुत्र विनोद कुमार हैं जो कमाकर जवाबदेहन्दा अपने पिता को कुछ भी नही देता है तथा उपर से दुर्व्यवहार, मारपीट तथा गाली गलोच करता है, ऐसी स्थिति में नीजि पारिवारिक जायज आवश्यकता के लिये जमीन विक्रय करने के अलावा जबाबदेहन्दा फताराम के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। इसी कारण जबाबदेहन्दा फताराम द्वारा जमीन बेची गई है, जबाबदेहन्दा फताराम अपने घर में अपनी पत्नि के साथ रहता है, आवेदकगण ने सभी बाते व्यर्थ की व गलत दावा करने के लिये नाजायज लिखी है, जबाबदेहान्दा फताराम द्वारा ही आवेदकगण व उसकी माता का भरण–पोषण किया गया है तथा चिकित्सा व शिक्षा की व्यवस्था भी जवाबदेहन्दा फताराम ही करता है जवाबदेहन्दा फताराम द्वारा पति धर्म का पालन बाकायदा किया गया है उसी के परिणाम स्वरुप संतान पैदा हुई है, अब आवेदकगण जवाबदेहन्दा फताराम व उसकी पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं रहने दे रहे हैं, जवाबदेहन्दा अपने जीवन में सही तरीके से रहा है जारता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है आवेदकगण को पालन पोषण नाबालिक होने की उम्र में बाकायदा जवाबदेहन्दा फताराम ने किया है आवेदकगण ने सभी बातें आधारहीन व झूठ दर्ज की है, विक्रय–पत्र के पश्चात भौतिक रूप से कब्जा जवाबदेहन्दा अनावेदक नं 2 ने कर रखा है, विक्रय पत्र विधि अनुसार है, इसलिए आवेदकगण का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज [illegible]।

प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस तरह से दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं [illegible] ...वेदक[illegible]ा हिन्दू परिवार के सहदायिक सदस्य होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है [illegible] पैदा नहीं होता है। नहीं होता है अनावेदक नंबर 1 का 1/4 हिस्सा है, [illegible] हिस्सा होने का [illegible] जमीन का बेचान आवेदकगण और उसकी माता आवेदकगण का कोई हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जमीन का बेचान आवेदकगण और उसकी माता की जानकारी से ही खुले रूप से किया गया है आवेदकगण ने अन्य कहानी झूठी औ[illegible] गढन्त बनाकर लिखी है और आवेदकगण को किसी तरह की हदतकफी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और आवेदकगण का जब कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का

ए. सी. जे. एम. (फा. टै.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:59 IST
Reason: SelfAttested

...नन कोई औचित्य नहीं है। आवेदकगण का वाद व प्रार्थना–पत्र कानूनन व तथ्यात्मक रूप से खारिज होने ...य है

प्रार्थना– पत्र की धारा 6 जिस तरह से दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है वादग्रसत जमीन में जबाबदेहन्दा ...राम द्वारा मकान बनाये हुये है, जिसमें जबाबदेहन्दा फताराम का परिवार रहता है, पजेशन जबाबदेहन्दा ...राम का है, आवेदकगण ने सभी बाते झूंठ व मनगढतं लिखी है, जिनका कोई औचित्य नही होने से खारीज ...योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र हर्जा ...र्चा सहित खरीज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील आवेदक ने ...र्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खाता संख्या 187 ...भूमि खसरा नम्बर 1003, 1004 रकबा क्रमशः 0.03, 4.41 हैक्टर भूमि के पुराने खसरा नंबर 447, 592 थे जो ...वेदकगण के दादा तेजा पिता गोपाल की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी। खसरा नंबर की भूमि का ...वेदकगण का दादा तेजा पुत्र गोपाल खातेदार काश्तकार था। आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 के जायन्दा ...तान है हिन्दु परिवार के सहादायिक सदस्य है, जिनका वादग्रस्त भूमि जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है।

आवेदकगण भूमि खसरा नम्बर 1003 कोमा 1004 के संबंध में उक्त वाद बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई ...षेधाज्ञा का पेश किया है। विवादग्रस्त भूमि आवेदकगण व प्रतिवादी नंबर 1 लगा. 17 की पैतृक संपत्ति है। ...नावेदक नंबर 1 ने अनावेदक नंबर 2 को एक स्ट्रेंजर है, के पक्ष में विवादित भूमि खसरा नंबर 1003 रकबा 0.03 ...क्टर, खसरा नंबर 1004 रकबा 4.41 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा 4.44 हैक्टर में हिस्सा 1/4 में से रकबा ...में से रकबा 0.5550 हैक्टर भूमि का एक विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2018 को बाला–बाला ही विधि विरुद्ध कार्यवाही ...करके तस्दीक व तकमिल करवा दिया जो आवेदकगण के हक अधिकारों के विरुद्ध एबीनिसियो वोइड है, अवैध है, ...शून्य दस्तावेज है, बेअसर है। वकील आवेदकगण ने निम्न न्यायिक दृष्टांत RRD 2005 PAGE NO. 349, RRD 1981 PAGE NO. 512, AIR 2012 PAGE NO. 42, DNJ 2019 SC PAGE NO. 115, RRD 1990 PAGE NO. 41, RLW 2005 (1) PAGE NO. 449, RLW 2007 (2)RJ, हिन्दू उतराधिकार अधि. Sec.6(4), विनीता बनाम राकेश शर्मा आदि पेश किये।

जवाब बहस में वकील अनावेदकगण ने वकील आवेदकगण की बहस का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराया तथा कथन किया गया कि आवेदक को पैतृक सम्पति साबित करने के लिए चार पिढियों का सजरा पेश करना आवश्यक होता। वादी का दावा चलने योग्य नही है प्रथम दृष्टया मामला भी आवेदक के पक्ष नही है। फताराम को जमीन अपने पिता से से मिली है जो सही है व तैजाराम की मृत्यु उपरान्त आई है। अनावेदक की भूमि में पुत्र व पुत्री का हिस्सा है, पैतृक सम्पति साबित होने के बाद हिस्सा होगा। यदि यह भी माना भी जाये तो फता के पुत्र का ही हिस्सा हो सकता है पुत्री का हिस्सा नही हो सकता है। फताराम के हिस्से में 1.11 हैक्टर भूमि आ रही है। विक्रय पत्र .550 का करवाया है जो सही है। आवेदक को पहले विक्रय पत्र को रेवेन्यू चेलेंज किया जाना था। यदि भूमि कृषि भूमि हो तो विक्रय पत्र अपने नाम से दर्ज है तो विक्रय का अधिकार होता है। यदि बिना हक अधिकार के विक्रय कर दे तो रेवेन्यू कोर्ट में आना चाहिए था। विवादग्रस्त भूमि पैतृक साबित नही होती है। वर्ष 2005 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसका अधिकार नही बनता है। प्रकरण में गंभीर विषय यह है कि प्रकरण की विषय वस्तु प्रथम दृष्टया ... है विवादित भूमि पैतृक नही है तथा ना ही पुत्री का पैतृक भूमि में अधिकार है। विक्रय हिस्से में आई भूमि से ज्यादा ... या है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:59 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय... की बहस पर मनन ... धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है।

1. प्रथम दृष्टया मामला

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.)
नयानगढ़

(8)

1. सुविधा का संतुलन
2. अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।
प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में नई खाता संख्या 187 की भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1004 रकबा 4.41 हैक्टर उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 447, 592 है, जो आवेदकगण के दादा तेजा पिता गोपाल की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि का आवेदकगण का दादा तेजा पुत्र गोपाल खातेदार काश्तकार था जिससे आवेदकगण व प्रतिवादी नंबर 1 लगा 17 की पैतृक संपत्ति है विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा अनावेदक नम्बर 1 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 2 लगा 9 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 10 व 11 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 12 लगा 17 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है। आवेदकगण, अनावेदक नंबर 1 के जायन्दा संतान है तथा हिंदू परिवार के सददायिक सदस्य हैं, जिससे वादग्रस्त संपत्ति में जन्म से ही हक व हिस्सा है। यह निर्विवादित है कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। प्रकरण का निस्तारण उभय पक्ष के साक्ष्य आने पर होना है। अतः आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन बनना प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में नई खाता संख्या 187 की भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1004 रकबा 4.41 हैक्टर भूमि के मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 30.08.2018 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:59 IST
Reason: SelfAttested